

समाचार
नोवल कोरोना वायरस

निगम के विभिन्न जोनांतर्गत लगाया गया 7200 रु. जुर्माना

(निगम द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर की जा रही लगातार कार्यवाही)

कोरबा 12 दिसम्बर 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर निगम द्वारा निरंतर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 7200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 700 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1200 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रुपये, रविशंकर नगर जोनांतर्गत 400 रुपये, बालको जोनांतर्गत 1300 रुपये, दर्रे जोनांतर्गत 800 रुपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 800 रुपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।